UPET110113652022

<u>अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलेसर, एटा</u>

जमानत प्रार्थना पत्र   सं0—851/2022
पप्पू आदि   ———बनाम————राज्य

<u>**11.10.2022**</u>

<u>आदेश</u>

अभियुक्त जवाहर लाल की ओर से अपराध सं0—339/2018, अन्तर्गत धारा—323,504 भा0दं0सं0, थाना निधौली कला, जिला एटा के प्रकरण में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्व है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दिनांक 06.10.2022 से जिला कारागार में निरूद्व है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया। उक्त प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित हो चुका है। अभियुक्त पूर्व में जमानत है। उक्त प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित न आने के कारण अभियुक्त के विरूद्व वारण्ट जारी हो गये थे। अभियुक्त दिनांक 06.10.2022 से जिला कारागार में निरूद्व है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत दखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त जवाहर लाल की ओर से अपराध सं0—339/2018, अन्तर्गत धारा—323,504 भा0दं0सं0, थाना निधौली कला, जिला एटा प्रकरण में मु0—20,000/—रूपये का एक व्यक्तिगत बंध पत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जलेसर, एटा